

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20(II)/से0नि0/2018/

दिनांक:-

आदेश

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं नर्स-2 द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित अधिकारी	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	माया बेनर्जी, एलएचवी	सवाई माधोपुर	09.05.1958	31.05.2018
2	प्रेम बाई, एलएचवी	बून्दी	05.05.1958	31.05.2018
3	उर्मिला कुमारी गौतम, एलएचवी	बून्दी	16.06.1958	30.06.2018
4	नीलम शोभा रानी, एलएचवी	पाली	14.06.1958	30.06.2018
5	एलियम्मा सैम्यूल, एलएचवी	पाली	11.03.1959	31.03.2019
6	ज्योतिका विलसन, एलएचवी	राजसमन्द	12.07.1958	31.07.2018
7	मैरी कुट्टी एम. (Mary Kutty M.) एलएचवी	अलवर	12.04.1959	30.04.2019
8	विनय कुमारी भारद्वाज, एलएचवी	अलवर	04.05.1958	31.05.2018
9	गायत्री चौहान, एलएचवी	डूंगरपुर	14.08.1958	31.08.2018
10	गीता कुमारी बारिया, एलएचवी	प्रतापगढ़	10.10.1958	31.10.2018
11	सारम्मा के जे, (Saramma K.J.) एलएचवी	जयपुर	20.11.1958	30.11.2018
12	मेरी के.पी., (Mary K.P.) एलएचवी	बांसवाडा	25.12.1958	31.12.2018
13	उर्मिला रावत, नर्स-2	अजमेर	28.01.1959	31.01.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

-54 -  
(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20(II)/से0नि0/2018/ 681

दिनांक:- 15/05/18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी तत्काल वसूली कर निदेशालय को अवगत करावे:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर/ बून्दी/ पाली/ राजसमन्द/ अलवर/ डूंगरपुर/ प्रतापगढ़/ जयपुर द्वितीय/ बांसवाडा।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बामनवास (सवाई माधोपुर)/ तालेडा (बून्दी)/ पाली, सुमेरपुर(पाली)/ देवगढ़(राजसमन्द)/ बानसूर, किशनगढ़-बास (अलवर)/ बिछीवाडा (डूंगरपुर) / छोटीसादडी (प्रतापगढ़)/ दूदू (जयपुर द्वितीय)।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काप्रेन(बून्दी)/ परतापुर(बांसवाडा)।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर